न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O). सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–132/2019

प्रार्थी:–

खीमराज पुत्र केसारामजी जाति घांची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–12.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सिवाना पटवार मण्डल सिवाना में खसरा संख्या 1116 रकबा 002.2384 हैक्टयर भूमि आई हुई है प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से खीमाराम पुत्र केसाराम कौम घांची अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम खीमराज पुत्र केसाराम है खातेदारी कृषि भूमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थी का समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता,दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम खीमराज पुत्र केसाराम दर्ज है । अतः उक्त त्रृटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। प्रार्थी के बयान कलमबंद्व किया गया ।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर खीमाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर खीमराज पुत्र केसाराम किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड, भामशाह कार्ड,बैंक खाता दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम खीमराज पुत्र केसाराम अंकित है।इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि खीमाराम व खीमराज पुत्र केसाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात स्कूल दस्तावेज व ग्राम पंचायत सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर प्रार्थी का नाम खीमाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर खीमराज पुत्र केसाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार हल्का सिवाना के खसरा संख्या 1166 रकबा 02.2384 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "खीमाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर "खीमराज पुत्र केसाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested